



2026:AHC:127284

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या

- 5380 वर्ष 2026

आदित्य सविता @ जतिन

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार सिंह, अंजुम परवीन

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी ।
2. आवेदक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत प्रकरण अपराध संख्या 22 वर्ष 2024 में धारा 147 , 352 , 336 , 308 , 326 भारतीय दंड संहिता के तहत, थाना काकादेव, जिला कानपुर नगर में गिरफ्तारी की आशंका में वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आरोपी आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे से वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी आरोपियों को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है और घायल पर हमला करने के लिए आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा, घायल को लगी चोटें जानलेवा नहीं बताई गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी गौरव दीक्षित, आर्यन गुप्ता, साहिल श्रीवास्तव, राज गौतम, आयुष मिश्रा और दिव्या शर्मा को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 16593 वर्ष 2026, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16706 वर्ष 2026, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9269 वर्ष 2024, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8942 वर्ष 2024, आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17749 वर्ष 2026 और आपराधिक विविध में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। जमानत आवेदन संख्या 17805 वर्ष 2026 के अनुसार, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. अग्रिम जमानत के दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन दूरदर्शी निर्णयों में समाहित किया गया है, जिनमें **गुरुबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565, सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 और सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1** शामिल हैं। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठे या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना और मुकदमे में आरोपी के सहयोग की इच्छा, आरोपी का आचरण और भागने का जोखिम आदि का मूल्यांकन करना चाहिए।

6. इस न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सह-आरोपियों को पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है और वर्तमान आवेदक का प्रकरण भी इसी आधार पर है, यह माना है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत के लिए प्रकरण सिद्ध कर दिया है।

7. उपर्युक्त प्रकरण में अपराध के आरोपी आवेदक- **आदित्य सविता उर्फ जतिन** को इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा:

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक को अवर न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा जो (i) प्रकरण की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं।
- (iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से प्रकरण की योग्यता पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना)

15 जून, 2026

अभिषेक